म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26,अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/योजना/2015–16/66/3976 भोपाल,दिनांक 4/ 5 /16

प्रति,

संयुक्त /उप संचालक,
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय ....

विषयः—मुख्यमंत्री कृषि उपज मंडी हम्माल एवं तुलावटी वृद्धावस्था सहायता योजना—2015 लागू करने बाबत्।

म0प्र0शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, द्वारा म0प्र0 राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना क्रं. डी—15—8/2013/14—3 दिनांक 7 अप्रेल 2016 द्वारा प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में कार्यरत अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटियों के सहायतार्थ "मुख्यमंत्री कृषि उपज मंडी हम्माल एवं तुलावटी वृद्धावस्था सहायता योजना—2015" दिनांक 07/04/2016 से प्रभावशील की गई है। (छायाप्रति संलग्न) योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन संबंधित कृषि उपज मंडी समिति द्वारा किया जावेगा। तथा पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व आंचलिक कार्यालय का होगा।

राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में योजना का विस्तृत विवरण,पात्रता, चयन, सहायता योजना में अंशदान एवं हितलाभ, वित्तीय व्यवस्था, आदि के संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की गई हैं, योजना के सुचारू संचालन तथा प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से निम्न निर्देश दिये जाते हैः—

(1) मंडी समिति में कार्यरत 18 से 55 वर्ष की आयु के लायसेंसधारी हम्माल एवं तुलावटी ही इस योजना के पात्र होगें तथा इसके लिये आवेदन कर सकेगें। वर्ष 2016—17 के लिये मंडी में कार्यरत अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटीं जो इस योजना में स्वेच्छा से सम्मिलित होना चाहतें है, उनसे निर्धारित प्रारूपों/प्रपत्रो में जानकारी प्राप्त कर पंजीयन संबंधी कार्य संबंधित मंडी समिति द्वारा किया जावेगा।

(2) हितग्राही (हम्माल/तुलावटी) को इस योजना अंतर्गत स्वयं का प्रतिवर्ष अंशदान जो न्यूनतम रूपये 1,000/— से अधिकतम रू0 2000/— तक होगा। यह राशि रूपये 100/— के पूर्ण अंक में होगी। जो उसके द्वारा प्रत्येक वर्ष 30 अप्रेल के पूर्व, मंडी सचिव तथा हितग्राही के संयुक्त बैंक खाते में जमा की जावेगी।

(3) योजना में मंडी समिति का अनुदान ।हेतग्राही द्वारा जमा राशि का 50 प्रतिशत होगा। जो अधिकतम 1000/— रूपये होगा। योजना में शामिल हितग्राही की संख्या एवं उनके अशदान के माध्यम से मंडी समिति के अनुदान राशि के लिये बजट प्रावधान किया जावेगा। यह राशि मंडी सचिव एवं हितग्राही के संयुक्त खाते में जमा की जावेगी। हितग्राही द्वारा जमा करायी जाने वाली वार्षिक अंशदान राशि में किसी भी स्थिती में परिवर्तन नही होगा। घोषणा पत्र में जिस राशि की प्रथम वार घोषणा की जायेगी वही राशि प्रतिवर्ष जमा करायी जायेगी।

(4) योजना समाप्ति पर मंडी बोर्ड की रू0 एक हजार प्रतिवर्ष के मान से एकमुश्त सहायता राशि संबंधित मंडी सचिव तथा आंचलिक संयुक्त संचालक द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर मांग पत्र भेजने के पश्चात् मंडी बोर्ड भोपाल द्वारा संबंधित मण्डी समिति को विमुक्त की जावेगी।

(5) हितग्राही को मंडी बोर्ड की रू0 एक हजार प्रतिवर्ष के मान से एकमुश्त सहायता राशि की पात्रता योजना में लगातार 20 वर्ष तक हितग्राही अंशदान की राशि जमा कराने की स्थिती में ही होगी। परन्तु योजना में सम्मिलित होने के पश्चात् 05 वर्ष की समयावधि पूर्ण होने पर आकस्मिक मृत्यु होने, स्थायी अंपगता एवं असाध्य बीमारी के कारण योजना से पृथक होने की दशा में मंडी बोर्ड की एकमुश्त सहायता राशि की पात्रता जितने वर्ष तक हितग्राही अंशदान की राशि जमा हुई हैं, उतनी ही होगी।

(6) हितग्राही द्वारा 05 वर्ष से अधिक तथा 20 वर्ष से कम अवधि में स्वेच्छा से योजना से पृथक होने की स्थिती में स्वंय की अंशदान राशि तथा मण्डी समिति की अनुदान राशि की ही पात्रता होगी। मंडी बोर्ड की एकमुश्त सहायता राशि की पात्रता नही होगी।

(7) हितग्राही के योजना में सम्मिलित होने के पश्चात् 05 वर्ष की समयावधि के पूर्व आकस्मिक मृत्यु होने, दुर्घटनावंश स्थायी अंपगता एवं असाध्य बीमारी होने की दशा में केवल स्वंय की अंशदान राशि तथा मंडी समिति की अनुदान राशि की ही पात्रता होगी।

(8) बैंक संयुक्त खाते में जमा कराई गई हितग्राही वार्षिक अंशदान राशि तथा मंडी समिति की अनुदान राशि को प्रतिवर्ष अधिकतम ब्याज दर पर सावधि खाते में वेष्ठित की जावेगी। इस राशि में से किसी भी दशा में आहरित नही किया जावेगा। योजना समयावधि पूर्ण होने पर ही अंतिम आहरण किया जावेगा। अंतिम आहरण स्वीकृति आदेश संबंधित आंचलिक संयुक्त संचालक द्वारा जारी किये जायेगें।

(9) संबंधित मंडी समितियों द्वारा योजना में सम्मिलित हितग्राहियों का पंजीयन पृथक से किया जावेगा। तथा उन्हें यूनिक आईडेटिफिकेशन नम्बर दिया जावेगा।

(10) लेखांकन प्रकिया से संबंधित समस्त अभिलेख मंडी समिति द्वारा संधारित किये जावेगे। हितग्राहीवार नस्ती पृथक-पृथक संधारित की जावेगी। जिसमें आवेदनपत्र, सहित आवश्यक दस्तावेज रखे जावेगें तथा हितग्राही वार लेजर तैयार किया जावेगा जिसमें हितग्राही अंशदान, मंडी समिति अंशदान तथा मंडी बोर्ड का एक मुश्त अनुदान एवं बैंक द्वारा बचत/सावधि जमा खाते पर देय ब्याज की प्रविष्टियॉ की जावेंगी। इसके अतिरिक्त इस पंजी पर योजना की समयावधि पूर्ण होने पर देय राशियों की गणना की जावेगी। हितग्राही की आकस्मिक मृत्यु होने पर भुगतान योग्य राशियों की गणना भी की जावेगी जिस पर प्रभारी कर्मचारी एवं मंडी सचिव के हस्ताक्षर होंगे।

(11) योजना पूर्ण होने पर अंतिम आहरण स्वीकृति आदेश संबंधित आंचलिक संयुक्त संचालक द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी किये जायेगें। मंडी बोर्ड की एकमुश्त सहायता राशि का आवंटन संबंधित हितग्राही की योजना पूर्ण होने की दिनांक से तीन माह पूर्व संबंधित मंडी सचिव एवं आंचलिक संयुक्त संचालक द्वारा मांग पत्र मंडी बोर्ड मुख्यालय भेजा जायेगा। तद्नुसार मंडी बोर्ड द्वारा एकमुश्त सहायता राशि विमुक्ति की कार्यवाही की जायेगी।

(12) मंडी समितियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जानकारी प्रतिवर्ष संयुक्त संचालक आंचलिक कार्यालय को भेजी जावेगी। आंचलिक संयुक्त संचालक द्वारा समस्त मंडी समितियों से प्राप्त जानकारी का समेकित संख्यात्मक विवरण बोर्ड मुख्यालय को निर्धारित प्रपत्र पर प्रतिवर्ष भेजा जावेगा।

योजना के संबंध में संलग्न प्रारूप प्रेषित किये जा रहे है। योजना में सम्मिलित होने वाले हम्माल तुलावटियों से पूर्ती कराकर कार्यवाही संम्पादित कराई जावे।

संलग्नः– 1–प्रपत्र 01 से 08 तक
2–शासन की अधिसूचना दिनांक 07.04.16

प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/योजना/2015–16/66/3977 भोपाल,दिनांक 4/5/16

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(01) प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।
(02) अपर संचालक (समस्त), म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
(03) अध्यक्ष/सचिव कृषि उपज मंडी समिति................................ (समस्त) जिला..........
(04) ....आदेश नस्ती/कार्मिक शाखा/विधि शाखा/सर्तकता शाखा/ प्रांगण शाखा/लेखा शाखा/ गार्ड फाइल।

संलग्नः– 1–प्रपत्र 01 से 08 तक
2–शासन की अधिसूचना दिनांक 07.04.16

प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

प्रपत्र – 01

कृषि उपज मंडी समिति
........................जिला ....

मुख्यमंत्री मंडी हम्माल–तुलावटी वृद्धावस्था सहायता योजना–2015
आवेदन–पत्र

पति एवं
पत्नी. का
संयुक्त फोटो

(1) आवेदक का नाम– ....

(2) पिता का नाम– ....

(3) स्थाई पता – ....

(4) वर्तमान पता – ....

(5) मोबाईल नम्बर– ....

(6) जन्मतिथि – ....

(7) आवेदन दिनांक को आयु– वर्ष.................................. माह...

(8) लायसेंस का प्रकार– हम्माल / तुलावटी

(9) लायसेंस का कमांक एवं दिनांक– ....

(10) लायसेंस की वैधता– ....

(11) शासकीय चिकित्सालय का
स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र– कमांक .... दिनांक..........................

(12) स्वयं के अंशदान की राशि– रूपये..................................(शब्दों में)............................

हितग्राही / आवेदक के हस्ता0

नाम

–:घोषणा–पत्रः–

मैं ....आत्मज श्री ....निवासी.....................घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य है, यदि इसमे किसी प्रकार की जानकारी गलत/असत्यता पाई जाती है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।

मैं इस योजना में स्वच्छा से सम्मिलित होना चाहता हूँ। मेरे द्वारा प्रतिवर्ष स्वेच्छा अंशदान की राशि रूपये..30 अप्रैल तक जमा करने की सहमति दी जाती है।

गवाह के हस्ताक्षर एवं नाम

हस्ता0 आवेदक

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेखों की सूचीः–

1– आयु के संबंध में सक्षम प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति
2– निवास के संबंध में प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति
3– पहचान के संबंध में प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति
4– मंडी का वैध लायसेंस की सत्यापित छायाप्रति
5– शासकीय चिकित्सायल द्वारा जारी
स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र (मूलतः)

–:योजना में सम्मिलित होने के लिये सहमति पत्रः–

मैं श्री / श्रीमति / कुमारी ....आत्मज / आत्मजा श्री .... पता ....जो कि कृषि उपज मंडी समिति .... जिला ....में ....लायसेंसी के रूप में कार्यरत है, मुख्यमंत्री कृषि उपज मंडी समिति हम्माल / तुलावटी वृद्धावस्था सहायता योजना 2015 में स्वेच्छा से सम्मिलित होने की सहमति देता हूँ।

स्थान .... हस्ताक्षर

दिनांक .... नाम

गवाह के हस्ता. का नाम पता

–:हितग्राही अंशदान राशि का सहमति पत्रः–

मैं श्री / श्रीमति / कुमारी ....आत्मज / आत्मजा श्री .... पता ....जो कि कृषि उपज मंडी समिति .... जिला ....में लायसेंसी के रूप में कार्यरत है, मुख्यमंत्री कृषि उपज मंडी समिति हम्माल / तुलावटी लायसेंसी हूँ। योजना अंतर्गत मेरे द्वारा स्वयं का हितग्राही अंशदान राशि रूपये ....शब्दो में .... (न्यूनतम रूपये 1000 / –तथा अधिकतम रूपये 2000 / –) प्रतिवर्ष 10 अप्रैल से पूर्व मंडी समिति कार्यालय में नियमित रूप से जमा कराने की सहमति देता हूँ।

स्थान .... हस्ताक्षर

दिनांक .... नाम

प्रपत्र– 02

–:परिवार के सदस्यों का विवरण :–

(जीवित पत्नि, पुत्र एवं पुत्री का विवरण)

परिवार के सदस्यों का **नाम**

1. नाम पत्नि ....आयु ....

2.नाम पुत्र / पुत्री .... आयु ....

हितग्राही के हस्ताक्षर / नाम

प्रपत्र– 03

–:नामांकन–पत्रः–

(1) हितग्राही का नाम ....(2) हितग्राही की योजना के दौरान मृत्यु होने की दशा में देय राशि प्राप्त करने हेतु पति/पत्नि का नाम. ....

(3) पति/पत्नि के जीवित न होने की दशा में अन्य नामांकित का नाम एवं संबंध

(40) नांमाकित व्यक्ति का नाम एवं देय संबंध राशि के भुगतान की पात्रता................ (प्रतिशत में)

हस्ताक्षर

नाम

गवाह के हस्ता. का नाम पता

स्थान ....

दिनांक ....

प्रतिहस्ताक्षर

सचिव

कृषि उपज मंडी समिति

....

प्रपत्र– 04

कृषि उपज मंडी समिति ....जिला ....
हम्माल / तुलावटी वृद्धावस्था सहायता योजना 2015 अंतर्गत योजना में सम्मिलित हम्माल / तुलावटी की वर्ष ....की जानकारी
दिनांक ....की स्थिति में

	हम्माल / तुलावटी का नाम	पिता का नाम	आयु	लायसेंस का प्रकर (हम्माल / तुलावटी)	लायसेंस कं / दि.	योजना में पंजीयन कं.	हितग्राही द्वारा जमा वार्षिक अशंदान राशि	मंडी समिति द्वारा जमा वार्षिक अनुदान राशि	कुल राशि	बैंक का नाम / शाखा	खाता कं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						योग					

स्थान

मंडी सचिव के हस्ता0

दिनांक

नाम

प्रपत्र – 05

संयुक्त संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय ....

मुख्यमंत्री कृषि उपज मंडी हम्माल तुलावटी वृद्धवस्था सहायता योजना 2015 की वर्ष की जानकारी,

दिनांक ....की स्थिति में

क	मंडी समिति का नाम	जिला	योजना में सम्मिलित हितग्राहियों की संख्या			हितग्राहियों द्वारा मंडी समति में जमा हितग्राही अंशदान की कुल राशि	मंडी समिति द्वारा जमा वार्षिक अनुदान की कुल राशि	हितग्राही अंशदान एवं मंडी अनुदान की कुल राशि
			हम्माल	तुलावटी	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

स्थान

दिनांक

आंचलिक प्रभारी के हस्ता0

नाम

प्रपत्र – 06

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय ....

कमांक /   दिनांक:

अंतिम आहरण स्वीकृति आदेश

श्री ....आत्मज / आत्मजा श्री .... मंडी समिति .... जिला .... में हम्माल / तुलावटी लायसेंसी के रूप में दिनांक .... को 60 वर्ष आयु पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री कृषि उपज मंडी हम्माल / तुलावटी वृद्धावस्था सहायता योजना 2015 में हितग्राही द्वारा जमा अंशदान राशि, मंडी समिति की अनुदान राशि तथा मंडी बोर्ड की एक मुश्त सहायता राशि देय ब्याज सहित रूपये .... (शब्दों में) रूपये .... भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। श्री .... का लायसेंस कमांक .... तथा योजना में पंजीयन कमांक .... है।

संयुक्त / उप संचालक के हस्ता0
एवं नाम

प्रपत्र – 07

कृषि उपज मंडी समिति ....जिला ....

मुख्यमंत्री हम्माल तुलावटी वृद्धावस्था सहायता योजना 2015–हितग्राही लेजर

हितग्राही का फोटो

1– हितग्राही का नाम/पता ....

2– पिता का नाम ....

3– अनुज्ञप्ति का प्रकार ....

4– अनुज्ञप्ति का कमांक

5– सहायता योजना का पंजीयन ....
कमांक एवं दिनांक

6– नामांकित व्यक्ति का नाम ....
एवं उससे संबंध

7– हितग्राही का वार्षिक अंशदान..

8– बैंक का नाम एवं खाता क. ....

क.	हितग्राही का अशदान वर्ष	जमा करने का दिनांक	अंशदान राशि	मंडी समिति की अनुदान राशि	कुल राशि (4+5)	बैंक में जमा दिनांक	बैंक द्वारा देय ब्याज राशि (बचत एवं सावधि)	कुल राशि (6+8)	प्रोग्रेसिव राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2016–17								
2	2017–18								
3	2018–19								
4	2019–20								

1– योजना समयावधि पूर्ण होने का दिनांक ....

2– योजना पूर्ण होने पर भुगतान योग्य राशि का विवरणः–

(1) हितग्राही अंशदान एवं मंडी अनुदान की
ब्याज सहित कुल राशि ....

(2) योजना की कुल समयावधि .... वर्ष..................................

(3) मंडी बोर्ड की एक मुश्त सहायता राशि रूपये ....

(4) हितग्राही को कुल भुगतान योग्य राशि रूपये..

3– हितग्राही की आकस्मिक मृत्यु होने की दशा में भुगतान योग्य राशि का विवरणः–

हस्ताक्षर शाखा प्रभारी **हस्ताक्षर मंडी सचिव**

प्रपत्र – 08

मंडी बोर्ड की एकमुश्त सहायता राशि मॉग पत्र

श्री ....आत्मज ....मंडी समिति .... जिला ....में हम्माल/तुलावटी लाइसेंसी के रूप में कार्यरत है। इनकी 60 वर्ष की आयु दिनांक ....को पूर्ण होने जा रही है। श्री ....द्वारा मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना 2015 में नियमित रूप से वर्ष ....से वर्ष .... तक वार्षिक हितग्राही अंशदान की राशि रूपये ....प्रतिवर्ष की दर से जमा कराई गई है। योजना में समयावधि ....वर्ष पूर्ण हो चुकी है। तदानुसार मंडी बोर्ड की वार्षिक एक मुश्त सहायता राशि रूपये ....प्रतिवर्ष के मान से कुल राशि रूपये ....शब्दो में रूपये ....की पात्रता है।

अतः राशि रूपये ....विमुक्त करने की अनुशंसा की जाती है।

हस्ता./नाम सचिव कृषि उपज मंडी समिति............. जिला	हस्ता./नाम संयुक्त संचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्या........................